

232  
79

**FORM 'A 2'**  
**ACKNOWLEDGEMENT**  
**{See Clause 8(3)}**



Letter NO- 15/30/बायो अनु0- 08/17 /Agri., Patna, Dated 2018

Received from M/s Suraj Shree Chemicals Ltd. Araria a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 0002 dated 14-06-2017 deposited in State Bank of India, Baily Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna  
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 120

**DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS**

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Suraj Shree Chemicals Ltd. Forbesganj, Araria, Style- Wholesale Dealer	C/o Ram Monohar Lohiya Path, Ward No-7, Farbesganj, Araria, (Bihar)	C/o Ram Monohar Lohiya Path, Ward No-7, Farbesganj, Araria, (Bihar)	1-Rhizobium 2-Azotobacter 3-Azospirillum 4-PSB	Sourced by M/s Khitiz Agro Tech Pvt. Ltd. (Valid Upto 03-11-2018)

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Dr. Athar Kabir (MD)  
M/s Suraj Shree Chemicals Ltd.  
P.O- Farbisganj, Alam Tola  
Distt- Araria (Bihar)

Sd/

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna  
/Agri., Patna, Dated 16/01 2018

Memo No. 120

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Director of Agriculture-cum-  
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

*A. P. Singh*  
12.1.18

251

80

**कृषि निदेशालय, बिहार, पटना**  
**उर्वरक प्रशाखा**

पत्र संख्या- 15/उ0/बायो अनु0- 8/2017  
प्रेषक,

/कृ0, पटना, दिनांक

2018

हिमांशु कुमार राय, भा0 प्र0 से0  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 सुरज श्री केमिकल्स लि0,  
सूरजमल चम्पालाल कॉम्पलैक्स,  
राम मनोहर लोहिया पथ,  
फॉरबिसगंज, अररिया (बिहार)।

विषय : उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या 120 दिनांक 16/01/2018 वैधता तिथि 15/01/2021 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।  
अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

16/01/2018

ज्ञापांक : 121

दिनांक :

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12/1/18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।